भाग–1

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक, जिला जयपुर	
पीठासीन अधिकारी :: **जयश्री लमोरिया, आर.जे.एस.**	
फौजदारी प्रकरण संख्या :: 469 / 2017	
सी.आई.एस. संख्या :: 809 / 2017	
अपराध अंतर्गत धारा :: 211 भारतीय दण्ड संहिता	
परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुत द्वारा	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	सुमित्रा देवी पत्नी ताराचंद बलाई, निवासी बोराज, थाना जोबनेर, जिला जयपुर
अधिवक्ता	अधिवक्ता श्री भागचंद, अभिषेक वर्मा अभियुक्ता की ओर से सहायक अभियोजन अभियोजक, राज्य की ओर से।

ख

इस्तगासा पेश करने की दिनांक	12.05.2017
आरोप विरचना का दिनांक	24.05.2022
साक्ष्य आरम्भ का दिनांक	27.11.2025
दिनांक जिस पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है	–
निर्णय का दिनांक	16.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई, का दिनांक	–

ग

अभियुक्त विवरण

अभियुक्त का कमांक	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफ्तारी का दिनांक**	**जमानत पर रिहाई का दिनांक**	**आरोपित अपराध**	**क्या दोष मुक्ति या दोष सिद्धि**	**अधिरोपित दण्डादेश**	**धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान भुगती निरोध अवधि**
1	सुमित्रा			211 भा.दं.सं.	दोष मुक्त		

भाग–2

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालय गवाह सूची

कः अभियोजन गवाह

क्र.सं.	**नाम**		**साक्ष्य प्रकृति**
1	पी.ड. 1	विक्रम सिंह	मुख्य गवाह
2	पी.ड. 2	हनुमान सहाय	मुख्य गवाह

खः अभियुक्त गवाह

क्र.सं.	**नाम**		**साक्ष्य प्रकृति**
1	निल	निल	निल

सरकार बनाम सुमित्रा
फौजदारी प्रकरण सं. 469/2017
निर्णय दिनांकः– 16.032026

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची
कः अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	इस्तगासा
2.	प्रदर्श पी 2	एफ.आर. की प्रमाणित प्रति

खः अभियुक्त दस्तावेज सूची

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
1	प्रदर्श डी1	मुकदमा नं. 74/2016 पर कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र
2	प्रदर्श डी 2	राजीनामा समझौता पत्र दिनांकित 11.05.2016

निर्णय

दिनांक : 16.03.2026

01. इस आपराधिक प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना नरेना की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्ता सुमित्रा के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 211 भारतीय दण्ड संहिता (जिसे आगे इस निर्णय में भा.दं.सं. से सम्बोधित किया जायेगा) के अन्तर्गत पेश करने पर हुआ, जिसका अब निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सुमित्रा देवी ने एक परिवाद पत्र गणपत, रामजीलाल, रमेश कुमार वर्मा, श्रवणी, कालू, बनवारी, सांवरा, प्रेम देवी, श्योराज को अभियुक्त सं. 1 लगायत 9 बनाते हुए उनके विरुद्ध अन्तर्गत धारा 190 सीआरपीसी न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि – ''आराजी खसरा नं. 55/13 रकबा 15 बीघा वाकै ग्राम श्रीरामपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित है। अभियुक्त संख्या 2 परिवादिया के ग्राम बोराज का निवासी है जबकि अभियुक्त संख्या 3 अभियुक्त संख्या 2 रामजीलाल का जानकार है जिन्होंने अभियुक्त संख्या 1 के साथ मिलकर उक्त आराजी के 1/4 हिस्से को विक्रय का इकरारनामा दिनांक 28.05.2014 को परिवादिया से बिल एवज 2,90,000/– रुपये प्रति बीघा की दर से किया था। वरवक्त इकरारनामा अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 ने विश्वास दिलाया था कि आराजी खसरा नम्बर 55/2013 रकबा 15 बीघा में से 1/4 हिस्सा अभियुक्त संख्या 1 गणपत ने मूल खातेदारों से क्रय कर इकरारनामा अपने हक में निष्पादित करवा रखा है एवं उक्त आराजी सर्व प्रकार के झगडों टन्टों से सुरक्षित व स्वच्छ है। जिनकी बात पर विश्वास कर परिवादिया ने

अभियुक्त संख्या 1 से उक्त आराजी का 1/4 हिस्सा अर्थात् 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि बिल एवज 2,90,000/– रुपये प्रति बीघा में क्रय करने का इकरार कर 2,51,000/– रुपये बतौर एडवांस अदा कर दिये एवं अभियुक्त संख्या 1 ने इकरारनामा दिनांक 28.05.2014 को गवाहान के समक्ष परिवादिया के हक में निष्पादित कर दिया। दिनांक 03.07.2014 को अभियुक्त संख्या 1 ने परिवादिया से इकरारनामा पेटे 5,00,000/– रुपये और प्राप्त कर लिये। तत्पश्चात् दिनांक 25.08.2014 को उक्त आराजी के मूल खातेदारों मांगू, रतना, सीता, छगन, नन्दू, जीतराम, सीमा, माया, पूजा समस्त जाति बागरिया, निवासीयान श्रीरामपुरा से उनके 5/32 हिस्से अर्थात् 2 बीघा 6 बिस्वा आराजी का विक्रय पत्र परिवादिया के हक में पंजीयन करवा दिया। शेष रही आराजीयात का विक्रय पत्र पंजीयन करवाने हेतु अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 3 दिनांक 02.03.2015 को अभियुक्त संख्या 4 लगायत 9 को लेकर सांभर आये एवं परिवादिया से नकद 83,000/– रुपये प्राप्त कर विक्रय पत्र की स्टाम्प ड्यूटी बाबत् 4,000/– रुपये के स्टाम्प खरीदकर विक्रय पत्र भी टाइप करवा दिया, लेकिन अभियुक्त संख्या 4 लगायत 9 के अन्य सह खातेदारों के मना करने से व अभियुक्त संख्या 4 लगायत 9 की पहचान बाबत् संदेह होने से विक्रय पत्र पंजीयन नहीं हो सका। उसके पश्चात् अभियुक्तगण संख्या 1 लगायत 3 आश्वासन देते रहे कि जल्दी ही विक्रय पत्र पंजीयन करवा देंगे। दिनांक 25.08.2014 को मांगू वगै0 से पंजीयन करवाये गये विक्रय पत्र व नामान्तकरण के बाद परिवादिया ने अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 से मौके पर चलकर मुताबिक विक्रय पत्र नाप चौक कर कब्जा सम्भलाने को कहा। पहले तो अभियुक्तगण टालमटोल करते रहे लेकिन बाद में जब मौके पर गये तो परिवादिया को पता चला कि उक्त जमीन पर रामजीलाल जाट का कब्जा है जिसने आराजी में घुसने भी नहीं दिया। जिस पर परिवादिया को उसके साथ हुयी धोखाधड़ी का पता चला। तत्पश्चात् अभियुक्तगण ने परिवादिया के औरतजात होने का नाजायज फायदा उठाते हुए कब्जाधारी रामजीवन जाट से मिलकर राजीनामा करवाने व कब्जा सम्भलाने हेतु 3,21,000/– रुपये में सौदा तय कर दिनांक 23.11.2015 को परिवादिया से 2,21,000/– रुपये व दिनांक 04.12.2015 को 25,000/– रुपये हड़प लिये। बावजूद इसके आज तक परिवादिया को ना तो कब्जा सम्भलाया गया ना ही शेष रही आराजी का विक्रय पत्र ही पंजीयन करवाया गया। अभियुक्तगण यह भली भांति जानते थे कि उक्त आराजी झगड़े की है जिस पर अन्य व्यक्ति का कब्जा है एवं सब

खातेदारों ने आराजी अभियुक्त संख्या 1 को विक्रय नहीं की है, बावजूद इसके इन्होंने पूर्व नियोजित योजना के तहत आपराधिक षडयंत्र रचते हुये परिवादिया के साथ धोखाधड़ी कर 10,80,000/— रुपये हड़प लिये। अब ना तो कब्जा संभला रहे हैं ना ही शेष जमीन का विक्रय पत्र ही पंजीयन करवा रहे हैं।''

उक्त परिवाद अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी में न्यायालय द्वारा पुलिस थाना नरेना पर भेजे जाने पर पुलिस थाना नरेना द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 74/2016 अन्तर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान मुस्तगीसा सुमित्रा देवी पत्नी ताराचंद व गवाहान कालूराम कुमावत, ताराचंद, कालूराम, पुत्र सुजाराम के बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी में लेखबद्ध किये गये। विवादित खसरा नम्बर 55/13 का रिकॉर्ड, इकरारनामा बाबत् कृषि भूमि बेचान की फोटोप्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की व मुस्तगीसा सुमित्रा देवी द्वारा पेश राजीनामा प्रार्थना पत्र व स्टाम्प शामिल पत्रावली किया। मुस्तगीसा सुमित्रा देवी ने आराजी भूमि खसरा नम्बर 55/13 रकबा 15 बीघा में से 3 बीघा 15 बिस्वा जमीन जो कि प्रकरण हाजा के आरोपी गणपत से जरिये इकरारनामा से खरीदी हुयी को 2,90,000/— रुपये प्रति बीघा के हिसाब से खरीद कर मुस्तगीसा ने गणपत को 2,51,000/— रुपये साई पेटे दिनांक 28.05.2014 को नकद दे दिये बाकि रकम दिनांक 30.06.2014 को 6,00,000/— रुपये नकद व शेष रकम 3 माह बाद दिनांक 30.09.2014 तक चुकती देने के सम्बन्ध में एक इकरारनामा 100/— रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी की गयी है। मुताबिक इकरारनामा के मुस्तगीसा ने 5,00,000/— रुपये दिनांक 03.07.2014 को गणपत को देकर असल इकरारनामा पर रसीद प्राप्त की है। तत्पश्चात् गणपत ने दिनांक 25.08.2014 को मूल खातेदारों से उक्त खसरा नम्बर में से 2 बीघा 6 बिस्वा जमीन की रजिस्ट्री श्रीमती सुमित्रा के नाम करवा दी व शेष जमीन 1 बीघा 98 बिस्वा की रजिस्ट्री कराने के लिए गणपत ने मूल खातेदारों को लेकर सांभर पंजीयन कार्यालय में आया था व रजिस्ट्री बाबत् स्टाम्प खरीदकर विक्रय पत्र भी टाइप करवा लिये गये थे परन्तु मूल खातेदारों के मन में पाप आ गया और ज्यादा रकम की मांग करने लगे तथा बिना रजिस्ट्री कराये ही मूल खातेदार श्रवणी, कालू, बनवारी, सावरा, प्रेमदेवी, श्योराज वापस चले गये। चूंकि मुस्तगीसा सुमित्रा ने आरोपी गणपत को कुल 7,51,000/— रुपये दिये हैं जिसमें 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब जमीनों के भाव कम होने से प्रकरण

हाजा मुस्तगीसा जमीन न लेकर शेष रकम 83,000/– रुपये को ज्यादा ब्याज के लेना चाहती थी। इस कारण मुस्तगीसा ने आरोपीयान पर दबाव डालने के लिए यह प्रकरण दर्ज करवाया है। तफ्तीश से धारा 420, 406 भा.दं.सं. का अपराध घटित होना नहीं पाया गया। सम्पूर्ण तफ्तीश से मामला एफ.आर. अदम् वकू झूठ होना पाया गया। नतीजा एफ.आर. नं. 65/2016 दिनांक 16.05.2016 को किता कर एफ.आर. न्यायालय में भिजवाई जो कि दिनांक 27.05.2016 को स्वीकार की गयी। न्यायालय में झूठा इस्तगासा पेश कर न्यायालय व पुलिस का पेशकीमती समय बर्बाद किया। जिस पर इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना नरेना द्वारा जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी प्रस्तुत किया गया इत्यादि।

03. उक्त इस्तगासा अन्तर्गत धारा 211 भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय में दिनांक 12.05.2017 को प्रस्तुत किया गया जिस पर उक्त दिनांक को अभियुक्ता सुमित्रा देवी के विरुद्व धारा 211 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकार प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

04. न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2022 को अभियुक्ता को धारा 211 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सुनाया, समझाया तो सुन–समझकर अभियुक्ता ने आरोपों को इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

05. इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्ता के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने के लिए अपने पक्ष के समर्थन में बतौर मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड. 1 विक्रम सिंह, पी.ड. 2 हनुमान सहाय के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 इस्तगासा, प्रदर्श पी 2 एफ.आर. की प्रमाणित प्रति को प्रदर्शित करवाया गया।

06. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान ने अभियुक्ता सुमित्रा के विरुद्ध आरोपित अपराध के सम्बन्ध में जो साक्ष्य पेश की, उनसे अभियुक्ता को दिनांक 26.02.2026 को धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता (धारा 351 बी.एन.एस.एस.) में परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्ता ने उपरोक्त साक्ष्यों को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होने, झूठा इस्तगासा पेश किये जाने, एफआईआर 74/2016 में राजीनामा होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं चाहने के कथन कर साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

07. उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्ता के

विरुद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 211 भा.दं.सं सन्देह से परे प्रमाणित होने का कथन करते हुए अभिकथन किया गया कि अभियुक्ता द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर गणपत, रामजीलाल, रमेश कुमार वर्मा, श्रवणी, कालू, बनवारी, सांवरा, प्रेम देवी, श्योराज के विरुद्ध क्षति कारित करने के आशय से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया था, जिस पर दर्ज एफ.आई.आर. में दौराने अनुसंधान अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत परिवाद के तथ्य झूठ मानते हुए न्यायालय में अन्तिम प्रतिवेदन अदम् वकू झूठ में प्रस्तुत किया गया जो कि न्यायालय द्वारा स्वीकार फरमाया गया है। अतः अभियुक्ता को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

08. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्ता ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभिकथन किया कि एफ.आई.आर. संख्या 74/2016 में राजीनामा हो गया था तथा राजीनामा होने के पश्चात् कोई कार्यवाही नहीं चाहने पर एफआईआर 74/2016 में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा राजीनामा होने के कारण ही प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं चाही गयी थी। पत्रावली पर राजीनामा व कार्यवाही नहीं चाहने का प्रार्थना पत्र भी प्रदर्श डी 1 व प्रदर्श डी 2 संलग्न है। हस्तगत इस्तगासा गलत तथ्यों पर पेश किया गया है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय द्वारा स्वीकार करने का कोई आदेश भी पत्रावली पर पेश नहीं किया है जिससे यह दर्शित हो सके कि न्यायालय द्वारा किस आदेश से अंतिम प्रतिवेदन स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है जिससे यह साबित हो सके कि अभियुक्ता द्वारा तथाकथित व्यक्तियों के विरुद्ध साशय बिना कोई न्यायसंगत व विधिपूर्ण आधार के परिवाद पेश कर गलत तथ्यों पर एफ.आई.आर. दर्ज करवाकर कार्यवाही संस्थित करवायी है। चूंकि अभियोजन पक्ष अपना मामला सन्देह से परे साबित नहीं कर पाया है। ऐसे में अभियुक्ता को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

9. उभयपक्षों द्वारा बहस के दौरान दिये गये उपरोक्त तर्कों वितर्कों पर मनन किया गया। इस संबंध में अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सहित संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु विद्यमान हैः—

(1)— क्या अभियुक्ता सुमित्रा ने गणपत, रामजीलाल, रमेश कुमार वर्मा, श्रवणी कालू, बनवारी, सांवरा, प्रेम देवी, श्योराज के विरुद्व एक परिवाद न्यायालय के समक्ष जानबूझकर बिना न्यायसंगत व विधिपूर्ण आधार के गलत व मिथ्या तथ्यों पर जिसे वह मिथ्या होना जानती थी क्षति कारित करने के आशय से झूठा आरोप लगाकर पेश किया और आपराधिक कार्यवाही संस्थित कर एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी ?

(2)— यदि हां तो अभियुक्ता को किस दण्ड से दण्डित किया जावे?

10.1 उक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में सर्वप्रथम अभिलेख पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किया जाना समीचीन है, जो निम्न प्रकार हैः—

10.2 गवाह गवाह पी.ड. 1 विक्रम सिंह अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करता है कि वह दिनांक 16.04.2017 को पुलिस थाना नरेना में थानाधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन अपराध सं. 74/2016 में परिवादीया श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी ताराचन्द, निवासी बोराज के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराये जाने पर धारा 211 भा.दं.सं. में इस्तगासा तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया था। परिवादिया द्वारा उपरोक्त प्रकरण दर्ज करवाये जाने पर पुलिस द्वारा बाद अनुसंधान प्रकरण में नतीजा एफआर सं. 65/2016 दिनांक 16.05.2016 अदम वकू झूठ में न्यायालय में पेश किया था। जिस पर न्यायालय द्वारा उपरोक्त नतीजा एफआर अदम वकू झूठ को दिनांक 27.05.2016 को स्वीकार किया जाकर पत्रावली पुलिस थाना पर भिजवाई थी। परिवादी द्वारा प्रकरण में जान बूझकर न्यायालय व पुलिस का समय बर्बाद किया था। जिस पर पेश किया गया इस्तगासा धारा 211 भा.दं.सं. प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया कि प्रकरण का अनुसंधान उसके द्वारा नहीं किया गया था। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि उक्त प्रकरण में उसे परिवादिया सुमित्रा देवी व मुल्जिमान के मध्य राजीनामा होने की कोई जानकारी नहीं है ना ही परिवादिया द्वारा दौराने अनुसंधान राजीनामा समझौता पत्र लिखकर दिया हो इसकी उसे जानकारी नहीं है तथा उसके द्वारा जो इस्तगासा प्रदर्श पी 1 पेश किया गया था उक्त इस्तगासे के साथ में कार्यवाही ना चाहने बाबत् एक प्रार्थना पत्र व राजीनामा समझौता पत्र संलग्न है। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि प्रार्थना पत्र प्रदर्श डी 1 में ए से बी भाग में एफआईआर सं. 74/2016 अन्तर्गत धारा 420, 406, 120बी आईपीसी में कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् अंकन है। प्रार्थना पत्र के

साथ प्रस्तुत राजीनामा समझौता पत्र प्रदर्श डी 2 है जिसमें ए से बी भाग में थाने में दर्ज रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् लिखा गया। गवाह यह सुझाव गलत बताता है कि प्रकरण में परिवादिया सुमित्रा का आरोपीगण के साथ राजीनामा होने के आधार पर ही अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू झूठ में प्रस्तुत किया हो।

10.3 गवाह पी.ड. 2 हनुमान सहाय अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन करता है कि वह दिनांक 16.04.2016 को पुलिस थाना नरेना में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन जरिये 156(3) सीआरपीसी के तहत परिवादिया सुमित्रा देवी पत्नी तारांचद बलाई का इस्तगासा जरिये डाक थाना हाजा पर प्राप्त हुआ था। जिस पर प्रकरण संख्या 74/2016 धारा 420, 406 भा.दं.सं. में दर्ज कर तफ्तीश उसके जिम्मे की गयी थी। बाद अनुसंधान एफ.आर. अदम् वकू झूठ में एसएचओ को सुपुर्द कर दी थी। एफ.आर. नतीजा प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी थानाधिकारी के हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि खसरा नम्बर 55/13 वाके ग्राम श्रीरामपुरा के रकबे में से 3 बीघा 15 बिस्वा के बेचान का इकरारनामा आरोपी गणपत बलाई ने परिवादिया सुमित्रा देवी के पक्ष में किया था। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि गणपत बलाई ने दो लाख नब्बे हजार रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जमीन परिवादिया को बेची थी तथा उक्त खसरा में से 2 बीघा 6 बिस्वा जमीन की रजिस्ट्री आरोपी गणपत ने मूल खातेदारों से सुमित्रा देवी के नाम करवा दी थी। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि शेष जमीन 1 बीघा 9 बिस्वा की रजिस्ट्री परिवादिया सुमित्रा देवी के पक्ष में नहीं की गई थी तथा गणपत बलाई ने 2 लाख 51 हजार रुपये साईं पेटे दिनांक 28.05.2014 को तथा 6 लाख रुपये दिनांक 30.06.2014 को परिवादिया सुमित्रा देवी से ले लिए थे। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि मुस्तगीसा सुमित्रा ने आरोपी गणपत को कुल 7 लाख 51 हजार रुपये दिये थे। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि 2 बीघा 6 बिस्वा की रजिस्ट्री करवाई उसकी प्रतिफल राशि के बाद शेष जमीन जिसकी रजिस्ट्री करवाई जानी थी उसकी प्रतिफल राशि मुस्तगीसा आरोपी गणपत में मांगती थी। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि इस बकाया राशि के बाबत दौराने अनुसंधान मुस्तगीसा सुनिता व आरोपी के मध्य राजीनामा हो गया था तथा मुस्तगीसा ने राजीनामा प्रदर्श डी 2 व राजीनामा करने बाबत प्रार्थना प्रदर्श डी 1 उसके समक्ष पेश किया था। परिवादिया व आरोपी गणपत के

बीच राजीनामा प्रदर्श डी 2 हुआ है लेकिन उक्त राजीनामे में आरोपी ने 83,000/– रुपए बकाया होना स्वीकार किया या नहीं उसे अब ध्यान नहीं है तथा उक्त 83,000/– रुपए ब्याज सहित 1,35,000/– रुपए का भुगतान परिवादिया सुमित्रा को किये जाने बाबत राजीनामे में लिखा गया हो तो उसे आज ध्यान नहीं है। गवाह आगे कथन करता है कि उसे यह भी ध्यान नहीं है कि राजीनामा प्रदर्श डी 2 में 83,000/– रुपए परिवादिया को देने व शेष 52,000/– रुपए दिनांक 11.05.2016 से दो महीने 15 दिन में दिये जाने का करार किया हो। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि परिवादिया द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत प्रार्थना पत्र प्रदर्श डी 1 पेश करने के बाद प्रकरण में एफआर दी गई। गवाह आगे कथन करता है कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि परिवादिया आरोपी गणपत में 83,000/– रुपए मांगती हो। प्रदर्श डी 2 उसने पढ़ा या नहीं उसे याद नहीं है, देखकर बता सकता है। प्रदर्श डी 2 का सी से डी भाग उसने पढ़ा था। गवाह यह सुझाव सही बताता है कि उसने राजीनामा प्रदर्श डी 2 का सी से डी भाग पढ़कर व प्रार्थना प्रदर्श डी 1 कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत पेश करने पर ही प्रकरण में एफआर लगाई है।

11.1 विचारणीय बिन्दु सं. 1 के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो इस्तगासा प्रदर्श पी 1 में मुख्य रूप से यह दर्शित है कि अभियुक्ता सुमित्रा पर यह आरोप है कि अभियुक्ता सुमित्रा द्वारा एक लिखित परिवाद न्यायालय के समक्ष गणपत, रामजीलाल, रमेश कुमार वर्मा, श्रवणी, कालू, बनवारी, सांवरा, प्रेम देवी, श्योराज के विरुद्ध जानबूझकर बिना कोई न्यायसंगत एवं विधि पूर्ण आधार के गलत एवं मिथ्यों तथ्यों के आधार पर क्षति कारित करने के आशय से पेश किया तथा आपराधिक कार्यवाही संस्थित कर एफ.आई.आर. दर्ज करवायी। जो कि बाद तफ्तीश बयानात गवाहान एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अदम वकू झूठ पायी गयी। जिस पर न्यायालय में अन्तिम प्रतिवेदन अदम् वकू झूठ में पेश किया गया जो कि न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।

इस्तगासा प्रदर्श पी 1 का अवलोकन किया जाये तो अभियुक्ता सुमित्रा की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर दर्ज एफ.आई.आर. दौराने तफ्तीश गवाह कालूराम, ताराचंद, कालूराम पुत्र सुजाराम के बयान व विवादित भूमि खसरा नम्बर 55/13 का रिकॉर्ड, इकरारनामा इत्यादि के आधार पर झूठ पायी जाना अपने इस्तगासे प्रदर्श पी 1 में वर्णित किया है। परन्तु यहां पर यह उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि उक्त

गवाहान में से किसी भी गवाह को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया गया है तथा ना ही तथाकथित इकरारनामा व जमीन के रिकॉर्ड को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित करवाया गया है।

11.2 तत्पश्चात् पत्रावली पर अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्ता सुमित्रा की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 74/2016 पर किये गये अनुसंधान के अनुसंधान अधिकारी हनुमान सहाय को पी.ड. 2 के रूप में परीक्षित करवाया है। गवाह पी.ड. 2 हनुमान सहाय के सशपथ बयानो का अवलोकन किया जाये तो गवाह पी.ड. 2 हनुमान अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन करता है कि परिवादिया सुमित्रा का इस्तगासा धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 74/2016 धारा 420, 406 आईपीसी में दर्ज कर तफ्तीश उसके द्वारा की गयी। बाद अनुसंधान एफ.आर. अदम वकू झूठ में सुपुर्द की गयी। इस प्रकार गवाह पी.ड. 2 हनुमान सहाय के सशपथ बयानों का अवलोकन किया जाये तो हालांकि गवाह पी.ड. 2 हनुमान सहाय द्वारा अभियुक्ता सुमित्रा की ओर से दर्ज अभियोग सं. 74/2016 बाद अनुसंधान झूठा पाये जाने के अभिकथन अपने मुख्य परीक्षण में अवश्य किये हैं परन्तु न्यायालय के समक्ष गवाह पी.ड. 2 हनुमान सहाय द्वारा यह अभिकथित नहीं किया गया कि किस प्रकार से व किन आधारों पर अभियुक्ता सुमित्रा की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर दर्ज एफ.आई.आर. 74/2016 झूठ पायी गयी। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 2 हनुमान सहाय से अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गई जिरह का अवलोकन किया जाए तो अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गयी जिरह के दौरान गवाह पी.ड. 2 हनुमान सहाय ने यह सुझाव सही बताया है कि खसरा नम्बर 55/13 में से 3 बीघा 15 बिस्वा के बेचान का इकरारनामा गणपत द्वारा सुमित्रा के साथ 2 लाख 90 हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किया था व उक्त खसरे में से 2 बीघा 6 बिस्वा जमीन की रजिस्ट्री गणपत द्वारा मूल खातेदारों से सुमित्रा के नाम करवा दी व शेष 1 बीघा 9 बिस्वा की रजिस्ट्री सुमित्रा के पक्ष में नहीं की गयी व गणपत द्वारा 2 लाख 51 हजार रुपये साई पेटे दिनांक 28.05.2014 को तथा 6 लाख रुपये दिनांक 30.06.2014 को सुमित्रा से ले लिये थे तथा 2 बीघा 6 बिस्वा की रजिस्ट्री करवायी उसकी प्रतिफल राशि के बाद शेष जमीन जिसकी रजिस्ट्री करवायी जानी थी, उसकी प्रतिफल राशि अभियुक्ता सुमित्रा, गणपत से मांगती थी। हालांकि दौराने जिरह ही गवाह पी.ड. 2 हनुमान अभियुक्ता सुमित्रा, गणपत से 83,000/– रुपये मांगने के तथ्यों की जानकारी नहीं होने के कथन

अवश्य किये हैं परन्तु उपरोक्त तथ्यों से इन्कार नहीं किया है। इस प्रकार दौराने जिरह गवाह पी.ड. 2 हनुमान ने अभियुक्ता सुमित्रा द्वारा प्रस्तुत परिवाद जिसके आधार पर एफआईआर 74 / 2016 दर्ज हुयी है, उसमें वर्णित तथ्यों की ताईद की है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड. 2 हनुमान ने परिवादिया द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रदर्श डी 1 पेश करने तथा राजीनामा प्रदर्श डी 2 का सी से डी भाग जिसमें मुख्य रूप से 75 / 2016 मुकदमें में राजीनामे के तथ्य वर्णित हैं उक्त सी से डी भाग पढ़ने के बाद प्रकरण में एफ.आर. दी जाने के सुझाव को भी सही बताया है। इस प्रकार गवाह पी.ड. 2 हनुमान सहाय के सशपथ बयानों में किये गये अभिकथनों से अभियोजन कहानी को कोई संबल प्रदान नहीं होता है।

11.3 तत्पश्चात् पत्रावली का आगे अवलोकन किया जावे तो अभियोजन पक्ष की ओर से इस्तगासा पेशकर्ता विक्रम सिंह को पी.ड. 1 के रूप में परीक्षित करवाया गया है। गवाह पी.ड. 1 विक्रम सिंह अपने सशपथ बयानों में एफ.आई.आर. नं. 74 / 2016 में बाद तफ्तीश एफ.आर. संख्या 65 / 2016 दिनांक 16.05.2016 को अदम् वकू झूठ में न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2016 को स्वीकार किये जाने पर अभियुक्ता के विरुद्ध इस्तगासा प्रदर्श पी 1 पेश किये जाने के अभिकथन अवश्य किये हैं। परन्तु उक्त गवाह पी.ड. 1 विक्रम सिंह भी अपने सशपथ बयानों में ऐसा कोई अभिकथन नहीं करता है कि अभियुक्ता सुमित्रा की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर दर्ज एफ.आई.आर. नं. 74 / 2016 में वर्णित तथ्य किन आधारों व साक्ष्य पर झूठे पाये गये। इसी अनुक्रम में गवाह पी.ड. 1 विक्रम सिंह से अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा की गयी जिरह का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड. 1 विक्रम सिंह दौराने जिरह यह अभिकथन करता है कि उसके द्वारा जो इस्तगासा प्रदर्श पी 1 पेश किया गया उक्त इस्तगासे के साथ में कार्यवाही ना चाहने बाबत् एक प्रार्थना पत्र व राजीनामा समझौता पत्र संलग्न है तथा प्रार्थना पत्र प्रदर्श डी 1 में ए से बी भाग में एफ.आई.आर. संख्या 74 / 2016 अन्तर्गत धारा 420, 406 आईपीसी में कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् अंकन है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजीनामे समझौता पत्र प्रदर्श डी 2 के ए से बी भाग में थाने में दर्ज रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् लिखा गया है। इस प्रकार उक्त गवाह पी.ड. 1 विक्रम दौराने जिरह एफ.आई.आर. 74 / 2016 में राजीनामा प्रदर्श डी 2 व कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 1 इस्तगासे के साथ पेश किया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार गवाह पी.ड. 1 विक्रम सिंह भी अभियोजन

कहानी को संबल प्रदान नहीं करता है।

11.4 इसके अतिरिक्त यहां पर यह भी उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि हालांकि इस्तगासा प्रदर्श पी 1 में यह वर्णित है कि एफ.आर. 65/2016 अदम वकू झूठ में पायी जाने पर न्यायालय में दिनांक 16.05.2016 को पेश की गयी थी जो कि न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2016 को बाद सुनवाई स्वीकार की गयी। परन्तु यहां पर यह भी उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि तथाकथित एफ.आर. न्यायालय में दिनांक 16.05.2016 को पेश करने के पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2016 को स्वीकार किया जाना अभिकथित किया है, उक्त एफ.आर. 65/2016 पर न्यायालय का दिनांक 27.05.2016 का कोई भी आदेश पत्रावली पर पेश कर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह जाहिर हो कि न्यायालय द्वारा एफ.आर. 65/2016 अदम वकू झूठ में स्वीकार की गयी हो एवं यदि यह मान भी लिया जाए कि न्यायालय द्वारा उक्त एफ.आई.आर. नम्बर 74/2016 में प्रस्तुत एफ.आर. नं. 65/2016 स्वीकार की गयी थी तो उक्त एफ.आर. न्यायालय द्वारा किन आधारों पर व किस आदेश के साथ स्वीकार की गयी थी, इस सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

इसके साथ ही अभियुक्ता सुमित्रा द्वारा धारा 313 सीआरपीसी के अन्तर्गत परीक्षित होने के समय यह अभिकथन किया गया कि एफ.आई.आर. नं. 74/2016 में राजीनामा होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं चाही थी।

11.5 इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों का भी अवलोकन किया जाए तो प्रदर्श डी 1 सुमित्रा की ओर से थानाधिकारी, नरेना को दिया गया प्रार्थना पत्र दिनांकित 28.04.2016 है तथा प्रदर्श डी 2 अभियुक्ता सुमित्रा का राजीनामा शपथ पत्र दिनांकित 28.04.2016 है। प्रदर्श डी 1 व प्रदर्श डी 2 का अवलोकन किया जाए तो उक्त दोनों दस्तावेजों में मुख्य रूप से यही वर्णित है कि मुकदमा नं. 74/2016 पी.एस. नरेना में लेन–देन का मामला था जिसमें आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है एवं मुकदमा नं. 74/2016 में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेज प्रदर्श डी 1 व डी 2 से भी प्रथमतः यही दर्शित होता है कि सुमित्रा के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर दर्ज एफ.आई.आर. सं. 74/2016 में दौराने अनुसंधान राजीनामा हो गया था।

11.6 अभियोजन पक्ष की ओर से अपने दस्तावेजी साक्ष्य में अन्य कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज के समग्र अवलोकन से न्यायालय के विनम्र मत में यह तथ्य दृष्टिगत नहीं होता है कि अभियुक्ता सुमित्रा द्वारा झूठे व मिथ्या तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश कर एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी हो।

12. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र अवलोकन से अभियोजन पक्ष न्यायालय के विनम्र मत में यह साबित करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्ता सुमित्रा ने गणपत, रामजीलाल, रमेश कुमार वर्मा, श्रवणी, कालू, बनवारी, सांवरा, प्रेम देवी, श्योराज के विरुद्ध एक परिवाद न्यायालय के समक्ष जानबूझकर बिना न्यायसंगत व विधिपूर्ण आधार के गलत व मिथ्या तथ्यों पर जिसे वह मिथ्या होना जानती थी, क्षति कारित करने के आशय से झूठा आरोप लगाकर पेश किया और आपराधिक कार्यवाही संस्थित कर एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष प्रथम विचारणीय बिन्दू को साबित करने में असफल रहा है।

13. दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। यदि अभियोजन पक्ष के मामले में सन्देह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्ता को दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य सामग्री के उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्ता सुमित्रा के विरुद्ध यह सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्ता ने गणपत, रामजीलाल, रमेश कुमार वर्मा, श्रवणी, कालू, बनवारी, सांवरा, प्रेम देवी, श्योराज के विरुद्ध एक परिवाद न्यायालय के समक्ष जानबूझकर बिना न्यायसंगत व विधिपूर्ण आधार के गलत व मिथ्या तथ्यों पर जिसे वह मिथ्या होना जानती थी, क्षति कारित करने के आशय से झूठा आरोप लगाकर पेश किया और आपराधिक कार्यवाही संस्थित कर एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी। अतः अभियुक्ता सुमित्रा को उसके विरुद्ध आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

14. चूकि अभियोजन पक्ष ने विचारणीय बिन्दू संख्या 1 को अभियुक्ता सुमित्रा के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है। इस कारण सजा के बिन्दू पर सुने जाने का कोई औचित्य नही हैं।

<u>आदेश</u>

15.1 परिणामस्वरूप अभियुक्ता सुमित्रा देवी पत्नी ताराचंद बलाई, निवासी बोराज, थाना जोबनेर, जिला जयपुर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 211 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15.2 अभियुक्ता के पूर्व में नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत मुचलके निरस्त किये जाते है।

15.3 साथ ही अभियुक्ता को धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/– रुपये का स्वयं मुलचका पेश कर तस्दीक करवाने के आदेश दिए जाते हैं। अपील प्रस्तुत न होने की दशा मे उक्त जमानत मुचलके 06 माह की अवधि के पश्चात स्वतः ही उन्मोचित समझे जावे।

(जयश्री लमोरिया)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर

16. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयश्री लमोरिया)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर